

भारत सरकार (GOVERNMENT OF INDIA)
रेल मंत्रालय (MINISTRY OF RAILWAYS)
रेलवे बोर्ड (RAILWAY BOARD)

RBA No. -----
GST Circular No. 20/2020

No. 2018/AC-II/1/11/GST References

27th March, 2020

General Managers,
All Zonal Railway/Production Units and Director/Finance /CRIS

Sub:-Due Dates for filing of various returns under GST& certain amendments in GST Law

1. Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC), vide various notifications dated 23rd March, 2020, has notified/extended the due dates for filing of various forms as below:

Return Type	Return Period	Due Date	Notification No.
Form GSTR-9	FY 2018-19	30-Jun-20	15/2020-Central Tax
Form GSTR-1	April 2020 to September 2020	11 th of succeeding month	28/2020-Central Tax
Form GSTR-3B	April 2020 to September, 2020	20 th of succeeding month	29/2020-Central Tax

2. Further, CBIC has extended the due date for furnishing of various forms for the erstwhile State of Jammu and Kashmir or the Union territory of Jammu and Kashmir. The form wise & period wise extended due dates are:

Return Type	Return Period	Due Date	Notification No.
Form GSTR-1	July, 2019 to February, 2020	24-Mar-2020	22/2020 and 23/2020-Central Tax
Form GSTR-3B	July, 2019 to February, 2020	24-Mar-2020	25/2020 and 26/2020-Central Tax
Form GSTR-7	July 2019 to February, 2020	24-Mar-2020	20/2020-Central Tax

3. Due to the merger of the erstwhile Union territory of Daman and Diu and the erstwhile Union territory of Dadra and Nagar Haveli into the merged Union territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, CBIC, vide Notification No. 10/2020 dated 21st March 2020, has notified the transition plan. The highlights of the plan are as follows:

- (a) 31st May 2020 has been notified as the transition date.
- (b) Both the aforementioned UTs shall continue to file monthly GST returns (Form GSTR 1, Form GSTR 3B & Form GSTR 7) for the respective UTs till the tax period ending on 31st May 2020 i.e., returns of March, April and May months.

27/3/2020

- (c) Balance of input tax credit (ITC) in the electronic credit ledger of the erstwhile Union territory of Daman and Diu, post keeping aside the amount of ITC to be utilised against liability for the month of May 2020, shall be transferred to the GSTIN of erstwhile Union territory of Dadra and Nagar Haveli.
- (d) Such transfer of ITC shall be carried out by-
- Debiting the said ITC from the electronic credit ledger of the erstwhile Union territory of Daman and Diu through Table 4(B)(2) of Form GSTR-3B to be filed for the month of May 2020.
 - The equal amount of ITC shall be credited in the electronic credit ledger of the erstwhile Union territory of Dadra and Nagar Haveli through Table 4(A)(5) of Form GSTR-3B to be filed for the month of May 2020.
- (e) Both the UTs shall intimate the respective jurisdictional tax officer regarding the transfer of ITC, within one month of such transfer.

Western Railway may implement the above in consultation with GST Consultants. Process drawn for implementing this may be got vetted from Railway Board.

4. The Central Goods and Services Tax Rules, 2017 have been amended vide Notification No. 16/2020-Central Tax dated 23rd March, 2020. Following are the key amendments relevant to Indian Railways-

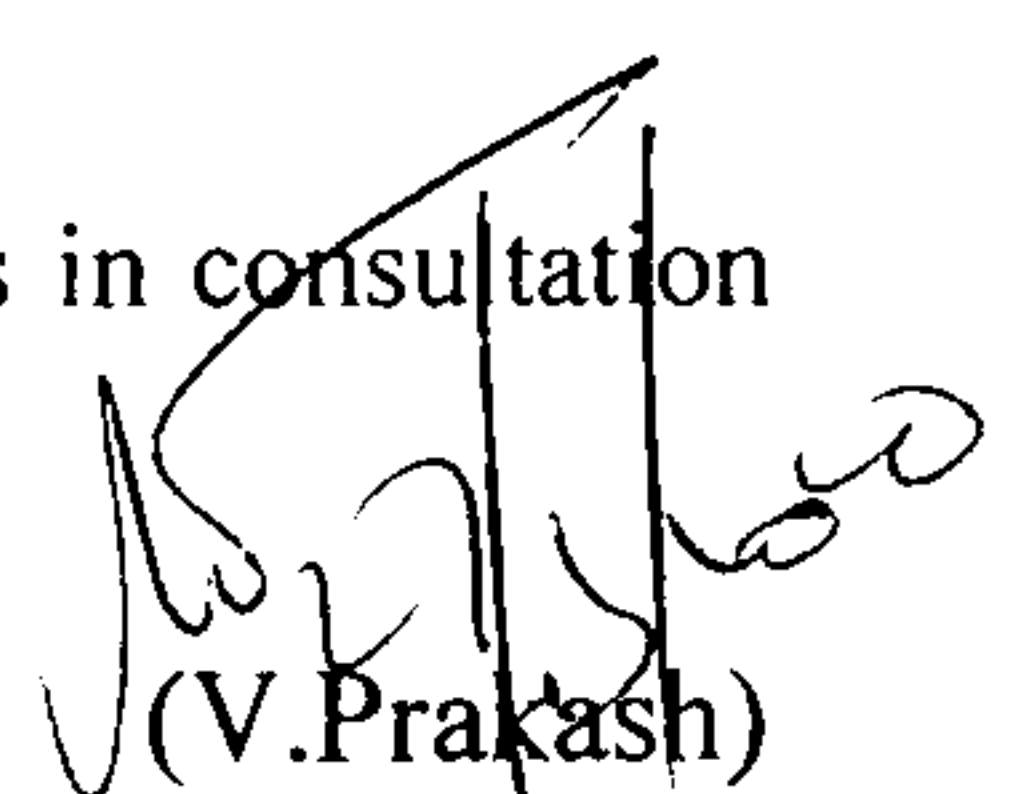
A. Aadhaar Authentication

Aadhaar authentication of the authorised signatory has been made mandatory for obtaining new registration under GST. If the authentication fails, registration shall be granted (within 60 days from application date) post physical verification of business premises in presence of authorised person.

B. Refunds of GST:

- a. In case of refunds claimed for tax wrongly paid or excess paid, such refund shall be given in electronic credit ledger in case such wrong or excess tax was paid through ITC.
- b. In case of refunds (other than for zero rated supply and deemed exports), officer shall sanction refund in the credit ledger, to the extent the tax was paid through ITC and the balance refund shall be sanctioned in Cash.

All the Zonal Railways may familiarize themselves with the above amendments in consultation with GST Consultants. This issues with the approval of PED/Accounts.


(V. Prakash)
Jt. Director/Accounts
Railway Board

Copy to:-

1. PFAs, All Zonal Railways and Production Units.
2. GM/Finance/GSTM, GM/AIMS, CRIS

भारत सरकार (GOVERNMENT OF INDIA)
रेल मंत्रालय (MINISTRY OF RAILWAYS)
रेलवे बोर्ड (RAILWAY BOARD)

आरबीए सं. -----

जीएसटी परिपत्र सं. 20/2020

सं. 2018/एसी-II/1/11/जीएसटी रेफरेंस

27 मार्च, 2020

महाप्रबंधक,

सभी क्षेत्रीय रेलें/ उत्पादन इकाइयां और निदेशक/वित्त/क्रिस

विषय:- जीएसटी के अंतर्गत विभिन्न रिटर्नों को भरने की नियत तारीख एवं जीएसटी कानून में कुछ संशोधन

1. केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने 23 मार्च, 2020 की विभिन्न अधिसूचनाओं के तहत भिन्न-भिन्न फार्मों को भरने की नियत तारीख निम्नानुसार अधिसूचित की है /बढ़ाई है:

रिटर्न के प्रकार	रिटर्न की अवधि	नियत तारीख	अधिसूचना सं.
फॉर्म जीएसटीआर-9	वित्त वर्ष 2018-19	30 जून, 2020	15/2020-केन्द्रीय कर
फॉर्म जीएसटीआर-1	अप्रैल, 2020 से सितम्बर, 2020	आगामी माह की 11 तारीख	28/2020-केन्द्रीय कर
फॉर्म जीएसटीआर-3बी	अप्रैल, 2020 से सितम्बर, 2020	आगामी माह की 20 तारीख	29/2020-केन्द्रीय कर

2. इसके अलावा, सीबीआईसी ने पूर्व में जम्मू एवं कश्मीर राज्य अथवा जम्मू एवं कश्मीर केन्द्रशासित प्रदेश के लिए विभिन्न फार्मों को प्रस्तुत करने की नियत तारीख बढ़ाई है। फॉर्म-वार एवं अवधि-वार बढ़ाई गई नियत तारीखें इस प्रकार हैं:

रिटर्न के प्रकार	रिटर्न की अवधि	नियत तारीख	अधिसूचना सं.
फॉर्म जीएसटीआर-1	जुलाई, 2019 से फरवरी, 2020	24मार्च, 2020	22/2020 तथा 23/2020-केन्द्रीय कर
फॉर्म जीएसटीआर-3 बी	जुलाई, 2019 से फरवरी, 2020	24मार्च, 2020	25/2020 तथा 26/2020-केन्द्रीय कर
फॉर्म जीएसटीआर-7	जुलाई, 2019 से फरवरी, 2020	24मार्च, 2020	20/2020- केन्द्रीय कर

3. पूर्व केन्द्रशासित प्रदेश दमन और दीव तथा पूर्व केन्द्रशासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली का विलित केन्द्रशासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में विलय होने के कारण सीबीआईसी ने दिनांक 21 मार्च, 2020 की अधिसूचना सं. 10/2020 के तहत परिवर्तित योजना अधिसूचित की है। इस योजना की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:

- (क) 31 मई, 2020 को परिवर्तित तारीख के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- (ख) ऊपर उल्लिखित दोनों केन्द्रशासित प्रदेश 31 मई, 2020 को समाप्त होने वाली कर अवधि तक अर्थात् मार्च, अप्रैल तथा मई माह की रिटर्न, संबंधित केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए मासिक जीएसटी रिटर्न (फॉर्म जीएसटीआर-1, जीएसटीआर- 3बी एवं जीएसटीआर- 7) भरना जारी रखेंगे।
- (ग) पूर्व केन्द्रशासित प्रदेश दमन और दीव के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का बकाया, मई, 2020 माह की दायिताओं के लिए उपयोग की जाने वाली आईटीसी राशि को बाद में अलग रखते हुए पूर्व केन्द्रशासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली के जीएसटीआईएन में अंतरित किया जाएगा।

(घ) आईटीसी का ऐसा अंतरण निम्नलिखित के द्वारा किया जाएगा-

- मई, 2020 माह के लिए भरे जाने वाले जीएसटीआर-3बी फॉर्म की तालिका 4(बी)(2) के माध्यम से पूर्व केन्द्रशासित प्रदेश दमन और दीव की इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से उक्त आईटीसी को डेबिट करके।
- मई, 2020 माह के लिए भरे जाने वाले जीएसटीआर-3बी फॉर्म की तालिका 4(ए)(5) के माध्यम से पूर्व केन्द्रशासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आईटीसी के बराबर राशि को जमा किया जाएगा।

(ङ) दोनों केन्द्रशासित प्रदेश आईटीसी के अंतरण के संबंध में संबंधित क्षेत्रीय कर अधिकारी को ऐसे अंतरण के एक माह के भीतर सूचित करेंगे।

पश्चिम रेलवे जीएसटी परामर्शदाताओं के परामर्श से उपर्युक्त का कार्यान्वयन करे। इसके कार्यान्वयन के लिए निर्धारित की गई प्रक्रिया का रेलवे बोर्ड से पुनरीक्षण कराया जाए।

4. केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियम, 2017 को दिनांक 23 मार्च, 2020 की अधिसूचना सं. 16/2020-केन्द्रीय कर के तहत संशोधित किया गया है। भारतीय रेलवे से संबंधित मुख्य संशोधन निम्नानुसार हैं-

ए. आधार प्रमाणीकरण

जीएसटी के अंतर्गत नया पंजीकरण प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य किया गया है। यदि प्रमाणीकरण विफल हो जाता है तो प्राधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में व्यापारिक परिसर का वास्तविक सत्यापन करने के बाद पंजीकरण (आवेदन की तारीख से 60 दिनों के भीतर) प्रदान किया जाएगा।

बी. जीएसटी का प्रतिदाय:

- क कर के गलत भुगतान अथवा अधिक भुगतान के लिए दावा किए गए प्रतिदाय के मामले में, आईटीसी के माध्यम से किए गए कर के गलत अथवा अधिक भुगतान के लिए ऐसा प्रतिदाय इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में दिया जाएगा।
- ख अधिकारी, प्रतिदाय के मामले में (शून्य दर आपूर्ति और अनुमानित निर्यात के अलावा) आईटीसी के माध्यम से किए गए भुगतान की सीमा तक क्रेडिट लेजर में प्रतिदाय स्वीकृत करेगा और बकाया प्रतिदाय नकद में स्वीकृत किया जाएगा।

सभी क्षेत्रीय रेलें जीएसटी परामर्शदाताओं के परामर्श से उपर्युक्त संशोधनों से स्वयं को अवगत कराएं। इसे प्रधान कार्यपालक निदेशक/लेखा की सहमति से जारी किया जा रहा है।



(वी. प्रकाश)

संयुक्त निदेशक/लेखा

रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।
2. महाप्रबंधक/वित्त/जीएसटीएम, महाप्रबंधक/एआईएमएस, क्रिस।